मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

क्रमांक 16 /मु.स./2006/ग्रा. भोपाल, दिनांक 11 मई, 2006

C08858

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषयः– विभागों को लगने वाले वस्त्रों की खरीदी भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप करने बाबत्

प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजित करना शासन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। शासन प्रदेश के बुनकरों को निरन्तर रोजगार देने हेतु कृतसंकल्प है। इसे कार्यरूप देने के लिए शासन द्वारा सभी विभागों को लगने वाले वस्त्रों की प्रतिपूर्ति हाथकरघा निर्मित वस्त्रों से करने की अनिवार्यता करते हुए, भण्डार क्रय नियम में संशोधन किया गया है।

भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 "अ" के तहत विभागों को लगने वाले वस्त्रों के प्रदाय आदेश जारी करते समय संबंधित विभाग वस्त्रों के मूल्य की 85 प्रतिशत राशि आहरण कर आयुक्त, हाथकरघा के पी.डी. एकाउण्ट में जमा करने की कार्यवाही करेंगे। भण्डार क्रय नियम के प्रावधान अनुसार यह कार्यवाही केन्द्रीय रूप से क्रय करने वाले विभागों को 31 मई के पूर्व तथा विकेन्द्रित रूप से क्रय करने वाले विभागों को 30 जून के पूर्व करना है।

आज प्रदेश में लगभग 20000 हाथकरघा संस्थापित हैं जो हाथकरघा बुनकरों की अजीविका का प्रमुख साधन है। भण्डार क्रय नियमों में संशोधन के पीछे शासन की मंशा इन हाथकरघा बुनकरों को पूर्णकालीन रोजगार उपलब्ध करना है।

अतः आपके विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में क्रय किए जाने वाले वस्त्रों के प्रदाय आदेश उपरोक्तानुसार समयावधि में संचालक, हाथकरघा को भेजना यथासम्भव सुनिश्चित करें।

राकेश साहनी
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन -- भोपाल 462004

पृ0 कमांक / स्था / 3 / एफ / 2006 / 1272 / भोपाल, दिनांक 17

प्रतिलिपि :--निम्नांकित की ओर शासन द्वारा निर्देशित निर्देशों, के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :--

1. संस्था प्रमुख, समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थायें मध्यप्रदेश ।
2. संचालनालय के समस्त अधिकारीगण / उपविभाग ।
3. संचालक जी के वरिष्ठ निज सहायक ।
4. अतिरिक्त संचालक, एस0पी0एफ0यू0 कार्यालय टैगोर होस्टल श्यामला हिल्स, भोपाल ।

14/7/06

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश
12-7-06